



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 386 राँची, गुरुवार,

27 अगस्त, 2020 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

28 जुलाई, 2020

अधिसूचना संख्या- 08/निकाय/05/2019/न.वि.आ./1910-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-590 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा-18 (1) में निहित प्रावधान के आलोक में शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद से अयोग्य घोषित करने हेतु गठित झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित जनप्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2017 को विलोपित करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् विषयक निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:- यह नियमावली 'झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020' कही जायेगी।

1.1. इसका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।

1.2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ:-

- 2.1. 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011
- 2.2. 'धारा' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा।
- 2.3. 'नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी' से अभिप्रेत है, संबंधित शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत उक्त स्तर के पदाधिकारी।
- 2.4. 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है, झारखण्ड सरकार।
- 2.5. 'निर्वाचित प्रतिनिधि' से अभिप्रेत है, महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वार्ड पार्षद, जिन्हें लोक सेवक की परिधि में समझा जायेगा।
- 2.6. 'प्राधिकृत स्रोत' से अभिप्रेत है, किसी परिवाद, आवेदन या सूचना समर्पण से संबंधित व्यक्ति या प्राधिकार।
- 2.7. 'विभाग' से अभिप्रेत है, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड।
- 2.8. 'भ्रष्ट आचरण' से अभिप्रेत है, जो पूर्ण निष्ठा नहीं रखता हो, कर्तव्यनिष्ठ न हो एवं ऐसा आचरण करता हो, जो किसी लोक सेवक के लिए अशोभनीय हो।
- 2.9. 'अयोग्य' से अभिप्रेत है, निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सदस्यता से अयोग्यता।

3. प्रावधान:- शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित किसी जनप्रतिनिधि को निम्नांकित कारणों से अयोग्य घोषित करते हुए निर्वाचित पद से उनकी सदस्यता समाप्त किया जा सकता है:-

- 3.1. भारत का नागरिक नहीं रहा हो;
- 3.2. राज्य विधान सभा के निर्वाचन के लिए अयोग्य हो गया हो;
- 3.3. केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में हो;
- 3.4. किसी ऐसे संस्थान में सेवारत हो, जिसे केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता मिलती हो;
- 3.5. किसी सक्षम न्यायालय से न्याय निर्णीत विकृत चित्त घोषित हो गया हो;
- 3.6. दिवालिया, अधिनिर्णीत होने हेतु आवेदन किया हो अथवा अधिनिर्णीत किया गया हो;
- 3.7. लोक सेवा हेतु अयोग्य करार दिया गया हो;
- 3.8. राजनीतिक अपराध से भिन्न किसी मामले में छः महीने से अधिक कारावास में रहा हो, कारावास अथवा किसी आपराधिक वाद का अभियुक्त होने के कारण छः माह से फरार हो;
- 3.9. किसी विधि/प्रावधान के अधीन स्थानीय प्राधिकार का सदस्य होने के अयोग्य हो;
- 3.10. नगरपालिका के अधीन वेतनभोगी हो या लाभ का पद धारण करता हो;
- 3.11. भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो;
- 3.12. जिस वर्ष निर्वाचन हुआ हो, उसके पूर्ववर्ती वर्ष में नगरपालिका का बकायेदार हो;
- 3.13. यदि वह अपने कर्तव्यों एवं कृत्यों को करने से इंकार करता हो या जानबूझकर उपेक्षा करता हो अथवा उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता हो, अथवा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाया जाए अथवा अपने कर्तव्यों के निष्पादन में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो;
- 3.14. अगर उसके दो से अधिक जीवित संतान हैं:

परन्तु यह कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रवृत्त होने के एक वर्ष की अवधि की समाप्ति तक या पर अगर किसी व्यक्ति को दो से अधिक संतान हैं, तो वह अयोग्य नहीं होगा;

- 3.15. यदि वह बैठकों में परिषद से पूर्व अनुमति लिये बिना नगरपालिका की लगातार तीन बैठकों या अधिवेशनों से अनुपस्थित रहे;
- 3.16. यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के मामले में, जो यथास्थिति उस जाति या वर्ग का सदस्य या महिला नहीं हैं या गलत प्रमाण पत्र या मिथ्या साक्ष्य को आधार बनाकर ऐसे स्थान के लिए निर्वाचित हो गया हो।

4. **प्रक्रिया:-** शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित करने एवं उनकी सदस्यता समाप्त करने हेतु निम्नांकित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जायेगा:-

- 4.1. यदि कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि नियम-(3) में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता हो, तो इस संबंध में संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/ विशेष पदाधिकारी द्वारा लिखित अनुशंसा किये जाने पर, संबंधित जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
- 4.2. कंडिका-3 में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करने पर/किसी अन्य प्राधिकृत स्रोत से अनुशंसा/ सूचना प्राप्त होने पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित करने के सन्दर्भ में राज्य सरकार स्वतः संज्ञान ले सकेगी।
- 4.3. किसी परिवाद/शिकायत से प्राप्त सूचना की ऐसे परिवादकर्ता/शिकायतकर्ता के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से सम्पुष्टि की अनिवार्यता होगी।

उपर्युक्त क्रम में जाँच के बाद यदि यह पाया जाता है कि संबंधित निर्वाचित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप असत्य हैं, तो ऐसी स्थिति में जाँच की कार्रवाई किए जाने के क्रम में व्यय की गई समस्त राशि का आकलन करते हुए, ऐसी राशि की वसूली संबंधित परिवादकर्ता/शिकायतकर्ता से लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में की जा सकेगी।

- 4.4. प्राप्त अनुशंसा/सूचना के परिप्रेक्ष्य में नियम-(3) में विनिर्दिष्ट शर्तों के आलोक में मामले की गुण-दोषों का परीक्षण विभागीय स्तर पर किया जायेगा।
- 4.5. विभागीय समीक्षोपरान्त प्रथम द्रष्टया (Prima Facie) दोषी पाये जाने पर, संबंधित जनप्रतिनिधि को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के तहत बचाव-बयान प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जायेगा।
- 4.6. प्राप्त बचाव-बयान की विभागीय समीक्षोपरान्त, यदि यह पाया जाता है कि संबंधित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध गठित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, अर्थात् नियमावली की कंडिका (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत है; तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पद धारित करने के उपयुक्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस मामले को नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर पर गठित जाँच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- 4.7. संबंधित निर्वाचित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध गठित आरोप एवं उनसे प्राप्त बचाव-बयान की सुनवाई हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर पर दो सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा:-

जाँच पदाधिकारी	संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का पदाधिकारी।
प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी	अवर सचिव से अन्यून स्तर का पदाधिकारी अथवा संबंधित निकाय के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनीत कोई राजपत्रित पदाधिकारी।

- 4.8. जाँच समिति, आरोपित निर्वाचित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध गठित आरोप के आलोक में आरोपित जनप्रतिनिधि को आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की तालिका संलग्न करते हुए, नोटिस जारी करेगी।
- 4.9. जाँच की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 45 दिनों की निम्नांकित अधिकतम समय सीमा निर्धारित की जाती है:-

क्र.	चरणों का निर्धारण	अधिकतम समय सीमा
01	जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की तालिका तैयार करना।	10 दिन
02	आरोपित जनप्रतिनिधि को नोटिस जारी करना।	05 दिन
03	बचाव-बयान प्राप्त करने हेतु समय का निर्धारण।	10 दिन
04	सुनवाई एवं यदि आवश्यक हो, तो गवाहों का प्रतिपरीक्षण।	15 दिन
05	प्रतिवेदन का अंकन।	05 दिन

- 4.10. उक्त निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन करना जाँच पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के लिए अनिवार्य होगा अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी।
- 4.11. यदि आरोपित निर्वाचित जनप्रतिनिधि के द्वारा बचाव-बयान समर्पित करने में दुलमुल रवैया/असहयोगात्मक रवैया अपनाया जाता हो तथा नियमावली के नियम-4.9 में यथानिर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत अपना बचाव-बयान समर्पित नहीं किया जाता हो, तो ऐसी स्थिति में एकतरफा सुनवाई (ex parte) करते हुए, जाँच पदाधिकारी के द्वारा जाँच प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जायेगा।
- 4.12. जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद विभाग के द्वारा जाँच समिति की अनुशंसा की समीक्षोपरान्त विभागीय निर्णय लिया जायेगा। जनप्रतिनिधि को अयोग्य पाये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए उनकी सदस्यता समाप्ति संबंधी अधिसूचना निर्गत की जायेगी।
- 4.13. किसी जनप्रतिनिधि की निरर्हत्ता (Disqualification) का मामला हो तो आवश्यकतानुसार राज्य निर्वाचन आयोग को अपना मंतव्य देने के लिए विभाग से सुपुद किया जायेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग को अपना अभिमत 15 दिनों के अन्तर्गत विभाग को समर्पित करना होगा।

5. **अपील:-** संबंधित प्रतिनिधि उनके विरुद्ध संसूचित निर्णय के संबंध में अपील कर सकेगा।
- 5.1. संबंधित निर्वाचित जनप्रतिनिधि के उनके विरुद्ध संसूचित निर्णय के संबंध में विभाग में सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव के पदनाम आवेदन देकर अपील कर सकेगा। अपील आवेदन पर विभागीय समीक्षोपरांत निर्णय माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा अथवा माननीय मुख्य मंत्री के विभागीय मंत्री होने की स्थिति में माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा नामित अन्य मंत्री के द्वारा लिया जाएगा तथा यह निर्णय अंतिम निर्णय होगा।
- 5.2. कोई अपील तभी स्वीकार की जायेगी, जब आदेश निर्गत किए जाने की तिथि से 30 दिनों के अन्तर्गत अपील की गई हो।
6. **निरसन एवं व्यावृत्ति:-** इस नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व से लागू झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2017 निरसित समझे जायेगे, तथापि इस नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व इससे संबंधित लिए गये निर्णय के संबंध में यह कहा जायेगा कि सभी निर्णय इस नियमावली के अध्याधीन लिये गये हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
